न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी :— संदीप कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 144/2018

बगड़कौर उर्फ जसविन्द्रकौर पत्नी स्वर्णसिंह पुत्री मखसिंह जाति जटसिख निवासी 40 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर हाल 43 एफ.(बडिंगा) तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर(राज.)

—वादीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व) रायसिंहनगर

—प्रतिवादी

अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्त. अधि. एवं 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम

उपस्थितिः—

1. श्री गुरप्रताप सिह, वकील वादीया
2. राजपैरोकार

—: निर्णय :—

दिनांकः 19-8-2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीया ने वाद पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्त. अधि. एवं धारा 136 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया को उसके विरास्तन भाग अनुसार वा खाता विभाजन पश्चात वाके चक 40 पी. एस. तहसील रायसिंहनगर के प.नं. 283/308 मु.नं. 67 के कि.नं. 4—7—14 प्रत्येक 0.253है कुल 0.759है नहरी व प.नं. 278/309 मु.नं. 82 के कि.नं. 11 व 20 प्रत्येक 0.253है कुल 0.506है नहरी कुल 1.265है. नहरी खातेदारी भूमि पर हर प्रकार के हक हकूक व खातेदारी अधिकार प्राप्त होकर अभिलेखों में वादीया के नाम से नामान्तरित हुई। वादीया का शादी से पूर्व तक नाम बगड़कौर ही था ओर उसी अनुरूप भूमि संबंधि अभिलेखों में वादीया का नाम बगड़कौर ही दर्ज हैं। वादीया का शादी के बाद नाम बदलकर जसविन्द्रकौर रख दिया। शादी के बाद वादीया के अधिकाशंतः दस्तावेज आदि में नाम जसविन्द्र कौर दर्ज होता आ रहा हैं। वादीया को बगड़कौर उर्फ जसविन्द्रकौर से जाना जाता हैं। चक 40 पी. एस. तहसील रायसिंहनगर के प.नं. 283/308 मु.नं. 67 के कि.नं. 4—7—14 प्रत्येक 0.253है कुल 0.759है नहरी व प.नं. 278/309 मु.नं. 82 के कि.नं. 11 व 20 प्रत्येक 0.253है कुल 0.506है नहरी कुल 1.265है. नहरी खातेदारी कृषि भूमि वादीया की है तथा घोषित किया जावे के दोंनों नाम बगड़कौर उर्फ जसविन्द्रकौर वादीया के ही हैं। एवं वादीया के नाम की दुरूस्ती करते हुए वादीया के नाम बगड़कौर के स्थान पर बगड़कौर उर्फ जसविन्द्रकौर दर्ज करने के आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। राजपैरोकार ने जवाब स्टेट पेश किया। वकील वादी ने राजपैरोकार के जवाब में किसी प्रकार की आपत्ति पेश नहीं करने के कारण तनकीयात कायम न कर सीधे बहस करने हेतु निवेदन करने पर बहस वकील वादीया एवं राजपैरोकार सुनी गयी। वकील वादीया ने अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए राजस्व रिकार्ड में वादीया के नाम बगड़कौर के स्थान पर बगडकौर उर्फ जसविन्द्र कौर की दुरूस्ती कर खातेदार घोषित कर डिक्री पारित करने हेतु निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया। एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज राजस्व रिकार्ड एवं प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत 43 पी.एस. प.सं. रायसिंहनगर के अनुसार श्रीमति बगड़कौर पुत्री मक्खन सिह पूर्व गांव 40 पी.एस. तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर की हैं, यह पीहर पक्ष का नाम था शादी के उपरान्त ससुर पक्ष से नाम जसविन्द्र कौर पत्नी स्वर्णसिंह गांव बड़िंग तह. श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर हैं। दोनों नाम एक ही औरत के हैं। वादीया द्वारा प्रकरण में अन्य कोई

Scanned by CamScanner

राजस्व रिकार्ड आदि साक्ष्य पेश नहीं किए हैं जिससे यह सिद्ध होता हो कि वादीया बगड़कौर एवं जसविन्द्र कौर एक ही महिला का नाम हैं। तथा न ही वादीया द्वारा प्रकरण में शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किए हैं। ऐसे में साक्ष्य अभाव में वाद वादी स्वीकार किया जाना न्याय उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन एवं तथ्यों के आधार पर साक्ष्य अभाव में वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्त. अधि. एवं 136 राज. भू राजस्व अधि. खारिज किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनया गया।

(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner